न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 40 / 2023 (अपील)

उनवान

कस्तूरचन्द आयु 66 वर्ष आत्मज श्री किशनलाल जी जाति मीना निवासी ग्राम रोण तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. श्रीमति सुनिता आयु 32 वर्ष बेवा स्व. सत्यनारायण, जाति मीना निवासी ग्राम रोण तहसील पीपल्दा वर्तमान मुकाम सुनीता पत्नी जगदीश जी पुत्र श्री हीरालाल जी जाति मीना निवासी ग्राम भौंरा तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री बलराम शर्मा (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट)

तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 528 दिनांक 09.06.2017 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अपील

निर्णय दिनांक : 07.06.2024

1. अपीलाण्ट्स की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 528 दिनांक 09.06.2017 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत पेश की गई

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर श्री बलराम शर्मा अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा का आदेश दिनांक 09–06––2017 विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 528 पूर्ण रूप से कानून की अवहैलना करके स्वीकृत किया गया है, जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सूचना दिये बिना, तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया, जो

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है, तथा अपीलाण्ट को सूचना न देकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने सर्वमान्य नैसर्गिक सिद्धान्तो की अवहैलना की है। वादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट के पुत्र तथा रेस्पोण्डेन्ट नम्बर 1 के पति सत्यनारायण के खाते में दर्ज थी, तथा सत्यनारायण का दिनांक 03–06–2017 को स्वर्गवास हो गया। अपीलाण्ट स्व. सत्यनारायण का प्रथम श्रेणी का उंत्तराधिकारी है तथा वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलाण्ट के पक्ष में तस्दीक किया जाना चाहिए था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अत्यधिक जल्दबाजी करते हुए सत्यनारायण की मृत्यु के केवल मात्र 6 दिन बाद ही दिनांक 09–06–2017 को रेस्पोण्डेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और ध्यान नही दिया है कि अपीलाण्ट मीना जाति का होने के कारण अनुसूचित जन जाति का सदस्य है तथा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधान अपीलाण्ट एवं रेस्पोण्डेन्ट नम्बर 1 पर लागू नही होते है। तथा हिन्दू लॉ के अनुसार रेस्पोण्डेन्ट नम्बर 1 स्व0 सत्यनारायण की सम्पत्ति को प्राप्त करने की अधिकारी नही है। केवल मात्र मेन्टीनेन्स प्राप्त करने की अधिकारी थीं, वादग्रस्त भूमि ग्राम रोण स्थित खसरा नम्बर 44 की 0.52 है0 तथा ख0 न0 47 की 0.77 हैक्टयर कुल 2 किता की 1.29 हैक्टयर भूमि पूर्व में मकबूला आत्मज श्री इलाहीब खा. जाति मुसलमान निवासी पीपल्दा के खाते की भूमि थी, जिसका पुराना खसरा नम्बर 120 रकबा 8 बीघा था। उक्त भूमि अपीलाण्ट ने मकबूला से दिनांक 17–03–2001 को क्रय करने का इकरार किया था, उक्त इकरार की पालना में अपीलाण्ट द्वारा मकबूला को प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि अदा की है, तथा अपीलाण्ट ने अपने पुत्र सत्यनारायण के पक्ष में विक्रय–पत्र आलेखित करवाकर उक्त विक्रय–पत्र की रजिस्ट्री करवाई, क्रय की गयी भूमि के सत्यनारायण की उम्र केवल मात्र 16 वर्ष की थी, तथा वह पूर्ण रूप से अपीलाण्ट पर ही निर्भर था, उसकी स्वयं की कोई आय नही थी, न ही उसके पास आय का कोई साधन था। इस प्रकार उक्त भूमि में सत्यनारायण का नाम केवल मात्र दिखावटी था। वास्तव में उक्त भूमि अपीलाण्ट की है, तथा अपीलाण्ट ही उक्त भूमि पर काबिज है। इस प्रकार सत्यनारायण के स्वर्गवास के पश्चात उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलाण्ट के पक्ष में किया जाना चाहिए था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने गुप चुप तरीके से सत्यनारायण की मृत्यु के केवल मात्र 6 दिन पश्चात ही वादग्रस्त भूमि नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया, अपीलाण्ट के पुत्र सत्यनारायण के स्वर्गवास के 6 वर्ष पश्चात ही रेस्पो0 क्रम 1 द्वारा श्री जगदीश आत्मज हीरालाल जी जाति मीना निवासी भौंरा तहसील दीगोद जिला कोटा के साथ पुर्नविवाह कर लिया है, तथा दोनो पति–पत्नी की हेशियत से निवास कर रहे है। हिन्दू लॉ के अनुसार विधवा पत्नी द्वारा पुर्नविवाह करने पर पति से जो भी मेन्टीनेन्स के रूप में सम्पत्ति प्राप्त हुई है, उसमे भी समस्त हित समाप्त हो जाता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 528 स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्ट को न तो कोई नोटिस दिया, और न सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया, तथा गुपचुप तरीके से जल्दबाजी में नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया इस कारण अपीलाण्ट को वादग्रस्त नामान्तरकरण की कोई जानकारी नही हो सकी अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 528 दिनांक 09–06–2017 ग्राम रोण तहसील पीपल्दा निरस्त किया जावे।

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

5 रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का बहस में कथन है अपीलाण्ट ने उक्त अपील 6 साल बाद पेश की है। जो अन्दर मियाद नहीं है। ग्राम पंचायत को विवाह करने बाबत प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत से मिली भगत से जारी करवाया गया है। रेस्पो0 न0 1 ने कोई दूसरा विवाह नहीं किया है। सीमलिया में रहते है, वहा पर सिलाई का कार्य करती है। अपीलाण्ट रेस्पोडेन्ट न01 की उसकी प्रोपटी से मरहूम करना चाहते है। रेस्पो0 न01 सत्यनारायण की विधवा पत्नी है। पटवारी पटवार मण्डल शहनावदा की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह ग्राम पंचायत के उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर बनायी गयी है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। विवादित आराजी में योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फोती नामान्तरकरण तस्दीक करना एक स्वभाविक प्रकिया है। जिसे नहीं रोका जा सकता । अतः अपीलाण्ट की अपील निरस्त फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 1982 आर0आर0डी पेज 332 , 1975 आर0आर0डी पेज 287 1984 आर0आर0डी पेज 45 2021(1) आर0आर0डी पेज 705] 1988 आर0आर0डी पेज 61, 1995 आर0आर0डी 181 प्रस्तुत किऐ गये जिनका भी ससम्मान अवलोकन किया गया।

7 हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील आदेश दिनांक 09.06.2017 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 21.06.2023 को पेश की गई है। जो विलम्ब से पेश हुए है। विलम्ब से पेश करने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी 25.06.2023 को हुई जब अपीलाण्ट हंकाई जुताई कार्य कर रहा था एवं पटवारी के बताने पर होना बताया है। विलम्ब से अपील पेश करने के सम्बन्ध में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

8 वकील अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश किया। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 25.08.2023 को जवाब पेश किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र के साथ असल प्रमाण पत्र दिनांक 20.06.2023 ग्राम पंचायत शहनावदा एवं ग्राम पंचायत भौरा का प्रमाण, असल जांच रिपोर्ट दिनांक 19.07.2023 पटवारी मण्डल शहनावदा पेश की है। जो निर्णय में सहायक सिद्ध होगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी दिनांक 20.07.2023 स्वीकार किया जाकर दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाते है।

9. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर दौराने बहस योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त एवं पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त यह पाते है कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाण्ट पक्ष का मुख्य रूप से यह कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने गुप चुप तरीके से सत्यनारायण की मृत्यु

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

के केवल मात्र 6 दिन पश्चात ही वादग्रस्त भूमि नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया, अपीलाण्ट के पुत्र सत्यनारायण के स्वर्गवास के 6 वर्ष पश्चात ही रेस्पो0 क्रम 1 द्वारा श्री जगदीश आत्मज हीरालाल जी जाति मीना निवासी भौंरा तहसील दीगोद जिला कोटा के साथ पुर्नविवाह कर लिया है, तथा दोनो पति–पत्नी की हेशियत से निवास कर रहे है। हिन्दू लॉ के अनुसार विधवा पत्नी द्वारा पुर्नविवाह करने पर पति से जो भी मेन्टीनेन्स के रूप में सम्पत्ति प्राप्त हुई है, उसमे भी समस्त हित समाप्त हो जाता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 528 स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्ट को न तो कोई नोटिस दिया, और न सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया। अपीलाण्ट का यह भी कथन है कि पक्षकारान अनुसूचित जन जाति का सदस्य है तथा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधान अपीलाण्ट एवं रेस्पोण्डेन्ट नम्बर 1 पर लागू नही होते है। तथा हिन्दू लॉ के अनुसार रेस्पोण्डेन्ट नम्बर 1 स्व0 सत्यनारायण की सम्पत्ति को प्राप्त करने की अधिकारी नही है। रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का बहस में कथन रहा है कि अपीलाण्ट ने उक्त अपील 6 साल बाद पेश की है। जो अन्दर मियाद नहीं है। ग्राम पंचायत को विवाह करने बाबत प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत से मिली भगत से जारी करवाया गया है। रेस्पो0 न0 1 ने कोई दूसरा विवाह नहीं किया है। सीमलिया में रहते है, वहा पर सिलाई का कार्य करती है। रेस्पो0 न01 सत्यनारायण की विधवा पत्नी है। पटवारी पटवार मण्डल शहनावदा की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह ग्राम पंचायत के उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर बनायी गयी है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। विवादित आराजी में योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फोती नामान्तरकरण तस्दीक करना एक स्वभाविक प्रकिया है। इस प्रकार से प्रस्तुत प्रकरण में विधिक स्थिति का प्रश्न विचारणीय है, तथा अपीलाण्ट का कथन है कि विवादित नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व उन्है सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जो प्रस्तुत प्रकरण में सही पाया है। ऐसी अवस्था में पक्षकारान को सुना जाकर विधि सम्मत रूप से प्रकरण का निस्तारण करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 528 दिनांक 09.06.2017 वाके ग्राम रोण पटवार मण्डल शहनावदा तहसील पीपल्दा निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करे।

11 निर्णय आज दिनांक 7.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

7/06/2024

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा, जिला कोटा

अति. जिला कलक्टर
कोटा